आर.ई.ओ.64

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर 342 003 फोन नं. 0291 2651313 [illegible] फैक्स नं. [illegible]

क्रमांक : [illegible]/जोधपुर डिस्कॉम/[illegible] सीपीएम/[illegible] /प्रेषित 1232 जोधपुर, दिनांक 23/10/2003

आदेश

विषय :–स्पेशल स्कीम के मांग पत्र जमा कराने के सम्बन्ध में।

***

कृषि कनेक्शन दिशा निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 9 (ब) में स्पेशल स्कीम के मांग पत्र जमा कराने बाबत यह प्रावधान है कि इस योजना मे मांग पत्र यू.पी.सी. से आवेदक को भेजा जावेगा व 30 दिन तक राशि जमा न होने पर पुन : सूचना रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजी जावेगी।

आवेदक चाहे तो 30 दिन के पश्चात् भी मांग पत्र की राशि जमा करा सकता है। मांग पत्र जमा नहीं होने पर आवेदक के खाते पर अग्रिम राशि मे से रुपये 10,000/– वापिस कर दिये जावेंगे। जिससे आवेदन पत्र अनिश्चित समय तक भी रद्द नही हो सकता था। इस प्रकार अनिश्चित समय तक किसी भी श्रेणी मे माग पत्र निर्धारित समयावधि मे जमा नही होने पर लम्बित रखना उचित प्रतित नही होता है।

समन्वय समिति की 62 वीं बैठक दिनांक 10.10.2003 में लिये गये निर्णयानुसार कृषि कनेक्शन दिशा–निर्देश (तृतीय संस्करण) के बिन्दु संख्या 9(ब) मे आंशिक संशोधन किया जाता है।

1. स्पेशल श्रेणी के लिये मांग पत्र यू.पी.सी. से आवेदक को भेजा जावे व 90 दिन तक राशि जमा न होने पर पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा जावे। रजिस्टर्ड ए.डी.के द्वारा मांग पत्र भेजने के 30 दिन के अन्दर अन्दर राशि जमा नहीं होने पर आवेदन स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जावे , इस तरह का नोट मांग पत्र जो कि रजिस्टर्ड ए.डी.द्वारा भेजा जाता है पर लिख दिया जावे कि उपरोक्त अवधि में डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा नहीं होने पर आवेदन स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जावेगा।
2. अब तक स्पेशल श्रेणी के समस्त जिन आवेदन पत्रों के मांग पत्र जारी कर दिये गये है व अभी तक मांग पत्र की राशि जमा नही कराई है या आवेदन रद्द कर दिये गये है उन्हें 30 दिन के अन्दर अन्दर मांग पत्र की राशि जमा कराने व जमा नहीं होने पर आवेदन पत्र रद्द होने का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाये तथा उक्त समय में राशि जमा नही होने पर उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये जावें। मांग पत्र वर्तमान प्रचलित दरों के अनुसार जारी होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

23.10.03

(आर.एस. चौधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।